कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चन्दौली

पत्रांक 3378/18 दिनांक 30/11/023

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद-चन्दौली।

विषयः- **निर्मित दी रमन पब्लिक स्कूल, नेगुरा, जनपद-चन्दौली के भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः- आपका पत्रांक-267/एस0टी0/मु0वि0अ0/शिक्षा दिनांक-17.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-89/अड़सठ-3-2018-2041/2018 दिनांक-11.01.2019 तथा संख्या-196/अड़सठ-3-2020-2018 दिनांक-29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दी रमन पब्लिक स्कूल, नेगुरा, जनपद-चन्दौली के भवनों का स्थलीय निरीक्षण इस खण्ड में कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया जिसे संलग्नक चेकलिस्ट 22 बिन्दू प्रोफार्मा में अंकित किया गया है। साथ ही किसी भी प्रकार का भूमि से सम्बन्धित वाद-विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। शेष निर्मित भवन के स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि का दायित्व विद्यालय प्रबन्धन के स्वयं का होगा।

संलग्नकः-चेकलिस्ट 22 बिन्दु प्रोफार्मा में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
29/11/2023 चन्दौली

नेशनल बिल्डिंग कोड (भूकम्परोधी) चेकलिस्ट प्रमाण–पत्र

विद्यालय का नाम– दी रमन पब्लिक स्कूल, नेगुरा, जनपद–चन्दौली

क0सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जॉच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हॉ
2	क्या भवन माचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकार/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक ऊचा है ?	भू–तल, प्रथम् तल
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्युनतम क्षेत्रफल 1.8 हे0 1800 व0मी0 है ?	नहीं
5	क्या भवन के चारो तरफ 6 मी0 खुला स्थान है ?	हॉ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट वैक में पार्किंग तो नहीं है ?	हॉ/नहीं
7	क्या भवन का ओरियेन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कूलेसन है ?	हॉ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (अप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है ?	3मी0
9	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है ? यदि नही तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गई ?	हॉ
10	क्या भवन की दिवार ईट या पत्थर की सिमेन्ट मसालों से बनीं है ?	हॉ
11	क्या भवन की दिवारों/छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतो की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.60 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.00 मी0) है ?	हॉ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौडाई 6.00 मी0 एवं उचाई 4.50 मी0 है ?	4.90X4.30
14	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हॉ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है ?	हॉ
16	क्या कक्ष के दरवाजों के न्यूनतम मॉप (चौड़ाई 1.00 मी0 उचाई 2.00 मी0) है ?	हॉ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनमत दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हॉ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि0मी0 ट्रेड 300 मि0मी0 तथा राईजर 150 मि0मी0 है ?	हॉ
19	क्या भवन में अग्निशमक यन्त्र (Fire Extinguisher) तथा आटोमैटिक स्प्रिन्कलर सिस्टम (Automatic Sprinkler system) उचित स्थान पर लगें है ?	अग्निशमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है।
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाईटिंग एप्लाईन्सेज (First aid fire fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	उपरोक्त
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय–समय पर अग्नि से बचाव का प्रशीक्षण दिया जाता है ?	उपरोक्त
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) की व्यवस्था है ?	हॉ

11/23

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
चन्दौली

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
चन्दौली